न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 13/2023

अपीलार्थी

श्रीमती सोनी देवी पुत्री रुगनाथराम जी पत्नी नारायणलाल जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, हाल निवासी– कलबीवास, वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) श्री प्रागाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति–कलबी, निवासी–मीठन, तहसील– रेवदर
(2) श्री वणाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, तहसील–रेवदर
(3) श्री केसाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति–कलबी, निवासी– मीठन, तहसील– रेवदर
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रत्यर्थी संख्याः 1 से 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील, तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलार्थी की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि कि अपीलार्थी सोनी देवी, जो कि रुगनाथराम पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन की जायन्दा पुत्री है एवं अपीलार्थी सोनी देवी के अलावा रुगनाथराम पुत्र धुडाजी कलबी के अन्य विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 है। यह कि ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 204, 171, 170, 142 में अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय रुगनाथराम पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई थी, जिसमें अपीलार्थी के पिता रुगनाथराम जी की मृत्यु के बाद रुगनाथराम जी के हक हिस्से की भूमि में से 1/4 हक हिस्से की भूमि पर अपीलार्थी बतौर उत्तराधिकारी काबिज होकर बिना किसी रुकावट के शान्तिपूर्वक काश्त करती आ रही है। अपीलार्थी के पिता रुगनाथ पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी– मीठन के उत्तराधिकारी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 है, लेकिन उक्त रुगनाथराम जी की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों को गलत तथ्य प्रस्तुत कर उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाकर स्वीकृत करवा लिया, जबकि अपीलार्थी भी मृतक खातेदार रुगनाथराम जी की जायन्दा पुत्री होने से उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्री को भी

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

पुत्र के समान बराबर हक हिस्सा प्राप्त होता है, लेकिन अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 02.1.2015 को होने के बाद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 व राजस्व अधिकारियों को अपीलार्थी के पिता का विरासत का नामान्तरकरण दायर करवाने का अनुरोध किया, लेकिन अपीलार्थी के पीठ पीछे प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अपीलार्थी के पिता रुगनाथ जी पुत्र धुडा जी के हक हिस्से की कृषि भूमि का स्वयं के नाम से नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया, जो कानूनन गलत है। पटवारी हल्का, मारोल एवं तहसीलदार, रेवदर ने भी अपीलार्थी के पिता रुगनाथ जी पुत्र धुडा जी कलबी के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत कर लिया, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर ने विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अपीलार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने से अपीलार्थी के हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है। अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने से अपीलार्थी को बतौर खातेदार प्राप्त होने वाले अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किये जाने स अपीलार्थी को बतौर उत्तराधिकार प्राप्त होने वाले हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। नामान्तरकरण दर्ज होने या नही होने से खातेदार को प्राप्त होने वाले खातेदारी के हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है एवं अपीलार्थी के खातेदारी हक अधिकार समाप्त नही होते है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि कन्डोन किया गया है। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त कर मृतक खातेदार स्वर्गीय रुगनाथराम पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी–मीठन के हक हिस्से की कृषि में 1/4 हक हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी का विवाह कई वर्षो पूर्व सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार नारायणलाल जी कलबी, निवासी– वासन के साथ हुआ था तथा अपीलार्थी के पिता रुगनाथराम जी ने शादी के समय ही अपीलार्थी को स्त्रीधन के रुप में रुपये, जेवरात आदि दे दिये थे, तब से अपीलार्थी अपने ससुराल ग्राम वासन में निवास करती है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता रुगनाथराम जी कलबी की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर होने की अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, लेकिल अपीलार्थी ने मन में लालच व लोभ आ जाने से ससुराल वालों के बहकावें में आकर गलत कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। जबकि उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी का न तो कब्जा है एवं न ही कभी भी कब्जा–काश्त रहा है। मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलार्थी इस अपील के माध्यम से अपने खातेदारी हक अधिकारों को तय करवाना चाहती है, जबकि खातेदारी हक अधिकार का निर्धारण सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के माध्यम से ही करवाया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री रुघनाथ पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी–

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* सत्यमेव जयते

मीठन के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि के संबंध में उक्त रुघनाथ जी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1143 प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर हुआ, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 05.7.2022 को स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 142, 170, 171 व 204 में रुघनाथ पुत्र धुडा जी के हक हिस्से की स्थित कृषि भूमि का उक्त खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडा जी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, मीठन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1143 दायर किया गया, जिसें तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 05.7.2022 को स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया था। इस मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 21/2023 को बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.8.2024 के द्वारा स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने से इस अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार श्री रुघनाथ पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन की मृत्यु के बाद उक्त मृतक खातेदार श्री रुघनाथ पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1143 पटवारी हल्का, मारोल द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 05.7.2022 को स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थी भी मृतक खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी– मीठन की पुत्री है। ऐसी स्थिति में, मृतक खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी–मीठन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के हक में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडाजी कलबी, निवासी– मीठन की मृत्यु के बाद उसके हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल, तहसील– रेवदर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन के विधिक वारिसानों की जांच करके विधि अनुरुप पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही